



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण 1945 (श0)
(सं0 पटना 1015) पटना, मंगलवार, 19 दिसम्बर 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

18 दिसम्बर 2023

सं० 05/स्था0-01-03/2021/9383—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०-22634, दिनांक-12.12.2023 द्वारा श्रीमती निवेदिता कुमारी, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-648/23) को जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्रीमती निवेदिता कुमारी को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानंद रंजन,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1015-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>